ई–मेल
क्रमांक 13790-13811 एच.ए.डब्ल्यू.बी./ए–1 दिनांक 20/5/2020

प्रेषक

महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

प्रेषित

1. उप–निदेशक, सघन पशुधन विकास परियोजना,
अम्बाला, भिवानी, गुड़गांव, जीन्द, करनाल, कुरूक्षेत्र व सिरसा ।

2. उप–निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
चरखी–दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, मेवात–नूंह,
नारनौल, पानीपत, पलवल, पंचकूला, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत व यमुनानगर ।

विषयः– प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय में अनचाहे चूजों को अमानवीय और गैर कानूनी विधि से मारने पर प्रतिबंध लगाने बारे ।

संदर्भः– मुख्य कार्यकारी अधिकारी PETA का ई–मेल दिनांक 19–05–2020.

यादीः

विषयान्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी People for the Ethical of Animal (PETA) INDIA ने संदर्भित–पत्र द्वारा प्रदेश में कुक्कुट पालकों/हैचरी द्वारा अमानवीय क्रूर एवं गैर कानूनी ढ़ंग से मुर्गियों के चूजों को मारने पर प्रतिबंध लगाये जाने अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष पोल्ट्री हैचरी से उत्पादित लाखों अनचाहे बीमार/बिकृत चूजों को अमानवीय/क्रूर तरीके से मार दिया जाता है जो Perevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है व दण्डनीय अपराध है । PETA द्वारा अनचाहे चूजों को मारने के लिए अपनायी जा रही अवैध एवं क्रूर प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा इसके लिए Animal Welfare Board of Ibdia (AWBI) और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित कानून एवं मानवीय तरीकों को अनाया जाये ।

अतः निर्देशित है कि आपके जिले में संचालित हैचरी/कुक्कुट पालन केन्द्रों पर अवैध और क्रूर प्रथाओं के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए यह सुनिश्चित करें कि Animal Welfare Board of Ibdia (AWBI) और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित कानून एवं मानवीय तरीकों को अपनाया जाये ।

उप–निदेशक (ए0डब्ल्यू0)
कृतेः महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला । 20/5/20

संलग्नः उपरोक्त

पृ0क्रमांक एच.ए.डब्ल्यू.बी./ए–1 दिनांक

इसकी एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

उप–निदेशक (ए0डब्ल्यू0)
कृतेः महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

Subject: हरियाणा राज्य में मुर्गीपालन (हैचरी) व्यवसायिकों द्वारा अवांछित चूजों को मारने के क्रूर और अवैध तरीकों पर प्रतिबंध लगाने और AWBI तथा अन्य निकायों द्वारा निर्धारित विधि को कार्यान्वयित करने के संबंध में ।

Date: 05/19/20 02:58 PM

From: Harshil Maheshwari <harshilm@peta.org>

To: "dg.ahd@hry.nic.in" <dg.ahd@hry.nic.in>

Cc: "Dr. Manilal Valliyate" <ManilalV@petaindia.org>

55 pages of Attachments

image001.jpg (2kB) image002.png (5kB) Annexure 1 -Orders issued by UP, Maharashtra, MP a... (1.5MB)
Annexure 2 AWBI advisory and LCI report.pdf (907kB) Annexure 3 The Swiss Parliament decision (English)... (76kB)
Annexure 4 7.6.14 of OIE guidelines.pdf (158kB)

S/AWD

Dear Sir,

Pursuant to our discussion, please see the below e-mails and annexures requesting to ban the cruel methods used for killing chicks, in the hatcheries. I am also attaching the orders issued by the Government **of Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh** and **Andhra Pradesh** for banning the cruel methods of killing chicks and instead adopting the methods recommended by Animal Welfare Board of India (AWBI) and the Law Commission of India (LCI).

Should you require any clarification/ information, please let me know.

Regards
Harshil Maheshwari
+91 95821 09323

Bays No. 9-12, Sector-2, Panchkula
20 MAY 2020
Receipt No. 6384
CFMS-ANH

आदरणीय महोदय,

हमारा यह पत्र, पूर्व में आपको ई-मेल अथवा डाक द्वारा भेजे गए गए उस पत्र के फॉलोअप के संबंध में है जिसमे हमने आपसे अनुरोध किया था कि हरियाणा राज्य में मुर्गीपालन व्यवसाय में अनचाहे चूजों (मुर्गी के बच्चों) को अमानवीय और गैरकानूनी तरीकों से मारे जाने वाली क्रूर प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए।

इससे पूर्व PETA इंडिया के अनुरोध पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के पशुपालन विभागों ने अपने राज्यों में अनचाहे नर चूजों की क्रूर एवं गैरकानूनी हत्याओं को रोकने हेतु अपने अधीनस्त विभागों को आदेश जारी कर इस पर तत्काल रोक लगाने एवं इस हेतु भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड तथा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अनुसंशित तकनीकों को अपनाने हेतु निर्देशित किया है। (आदेश के प्रति **Annexure 1** तथा AWBI द्वारा जारी सलाह एवं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट **Annexure 2** के रूप में संलग्न है)

आपके द्वारा यौन वीर्य प्रौघोगिकी (Sexed semen technology) को लागू करने वाले प्रगतिशील कदम की सराहना करते हैं यह डेयरी उद्योग में गायों को केवल मादा बछड़े पैदा करने में सहायक होगी व इस उद्योग में बेकार समझे जाने वाले नर बछड़ों को पैदा होने के बाद दर्दनाक तरीकों से मौत एवं पीड़ा से भी निजात मिल जाएगी। मुर्गीपालन से संबन्धित भी एक ऐसी ही तकनीक विदेशों में विकसित की गयी है जो जल्द ही व्यावसायिक इस्तेमाल हेतु भारत में भी उपलब्ध हो जाएगी। इस तकनीक के द्वारा अनचाहे नर चूजों को मुर्गी के गर्भ में अंडा निर्माण के प्रारम्भिक चरण में ही नष्ट कर दिया जा सकेगा जिससे जीवित चूजों को क्रूर तरीकों से मौत का शिकार होने से बचाया जा सकेगा। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी (जिनहोने सेक्स निर्धारण तकनीक में €5 मिलियन का निवेश किया है) ने सभी जीवित नर चूजों की बेरहम हत्याओं जो की इन देशों में आम बात है, को रोकने हेतु कदम उठाए हैं। (स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली द्वारा नर चूजों की हत्याओं को रोकने हेतु पारित किए गए प्रस्ताव की एक कॉपी **Annexure 3** के रूप में संलग्न है)

पशुपालन, डेयरी एवं मतस्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "बेसिक पशुपालन पद्धतियाँ" वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य देश के अग्रणी अंडा उत्पादक राज्यों में से एक है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जैसे ही ओवों नामक सेक्स निर्धारण तकनीक भारत में आए वह तत्काल रूप से हरियाणा राज्य में भी लागू की जाए।

उपरोक्त के मद्देनजर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप तत्काल रूप से निम्नलिखित निर्देश जारी करें-

1. राज्य में पॉल्ट्री हेचरीज़ द्वारा अवांछित चूजों की गैरकानूनी तरीकों से की जा रही बेरहम हत्याओं को प्रतिबंधित करें एवं इस हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के 7.6.14 (**Annexure 4**) के तहत निर्धारित पद्धतियों को अपनाएं जिसे AWBI तथा लो कमीशन ऑफ इंडिया ने भी मान्य किया है।

2. महज़ एक दिन की उम्र के चूजों की हत्याएं प्रतिबंधित हो व "ओवो" नामक तकनीक जैसे ही भारत में आए, तत्काल रूप से लागू हो।

मुझे आशा है जल्द ही आपकी प्रतिकृया प्राप्त होगी। इस मामले पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप मुझ से ManilalV@petaindia.org पर ई-मेल या +919910817382 पर फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं।

FPP

इसका वि-पत्र पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 12901-22, दिनांक 18/05/20 द्वारा पहले ही ACCD [illegible] को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लिख दिया गया है

[signature] 20/5/20

V.S/ SA(AW)3

DD(AW)

[signature] 20/5

भवदीय,

Dr Manilal Valliyate, CEO

PETA India
Follow us on Facebook
Follow us on Hindi Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram
Subscribe to our YouTube
Subscribe to our E-news

Animals are not ours to experiment on, eat, wear, use for entertainment, or abuse in any other way.

Please consider the environment before printing this email

From: Dr. Manilal Valliyate <ManilalV@petaindia.org>
Sent: 01 May 2020 19:29
To: dg.ahd@hry.nic.in
Cc: neerja.ias@nic.in
Subject: Request for a ban on all inhumane and illegal methods and practices currently being used for killing unwanted and male baby chicks by the poultry hatcheries in the state of Haryana

Dear Sir,

This letter is a follow-up to my previous e-mails and letters, requesting a ban on illegal and cruel methods that the poultry hatcheries in Haryana are currently using to kill unwanted chicks.

Following our request, the animal husbandry departments of Madhya Pradesh, Maharashtra, and Uttar Pradesh issued orders (copy of orders of all the states is appended as **Annexure 1**) to stop **illegal and cruel practices** used for killing **male and other unwanted chicks** by poultry hatchery industries and directed their officials to implement methods recommended by both the Animal Welfare Board of India (AWBI) and the Law Commission of India (LCI)- (copy of AWBI advisory and LCI Report appended as **Annexure 2**)

We appreciate your progressive move for implementing sexed semen technology, which increases the odds that a cow will produce a female calf, in view of the suffering and pain that male calves, who are considered "useless" by the dairy industry, undergo. A similar sex-determination technology, which has been developed abroad and will be commercially available in India soon, allows eggs with male embryos to be destroyed during an early stage of development, thereby sparing live chicks a horrific death. France, Switzerland, and Germany (which has invested €5 million in sex-determination technology) have all taken steps to ban the shredding of live male chicks, which was commonly practised in those countries (a copy of the decision by the Federal Assembly of Switzerland to ban the shredding of chicks is appended as **Annexure 3**.).

Haryana is one of the major egg-producing states in the country – according to a 2019 report on Basic Animal Husbandry Statistics released by the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries – making it especially imperative that it implement *in ovo* sex-determination technology as soon as it's commercially available.

In light of this information, I urge you to issue the following directions immediately:

1. Ban all illegal and cruel methods of killing unwanted chicks by poultry hatcheries in the state and adopt the method prescribed under Article 7.6.14 (**Annexure 4**) of the guidelines of the World Organisation for Animal Health, which are also recommended by the AWBI and the LCI.

2. Prohibit the practice of killing day-old male chicks and adopt *in ovo* sex-determination technology once it's commercially available.

I hope to hear from you soon. Thank you for your time and consideration of this important matter. I can be reached at ManilalV@petaindia.org or on +91 9910817382.

Yours sincerely,

Dr Manilal Valliyate, CEO

PETA India
Follow us on Facebook
Follow us on Hindi Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram
Subscribe to our YouTube
Subscribe to our E-news

PETA INDIA

Animals are not ours to experiment on, eat, wear, use for entertainment, or abuse in any other way.

Please consider the environment before printing this email

From: Dr. Manilal Valliyate <ManilalV@petaindia.org>
Sent: 12 February 2020 16:54
To: dg.ahd@hry.nic.in
Cc: achahh@gmail.com
Subject: FW: हरियाणा राज्य में मुर्गीपालन व्यवसाय में अनचाहे चूजों (मुर्गी के बच्चों) को अमानवीय और गैरकानूनी तरीकों से मारे जाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु अनुरोध पत्र

प्रिय महोदय,

मैं PETA इंडिया की ओर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि, आप अपने राज्य के सभी मुर्गीपालकों पर अमानवीय, क्रूर एवं गैरकानूनी तरीके से मुर्गियों के बच्चों को मारने पर प्रतिबंध लगाएँ व इसे सख्ती से लागू करें क्यूंकि यह निर्मम हत्याएँ "पशु क्रूरता निवारण अधिनियम ('PCA अधिनियम'), 1960" का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथ ही, समस्त मुर्गीपालन केन्द्रों को निर्देशित करें की इन बच्चों को मरने हेतु वह "भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI)" तथा "भारतीय विधि आयोग" द्वारा अनुशंसित हत्याओं की मानवीय पद्धतियों को अपनाएं।

शायद आप यह जानते होंगे कि, लाखों चूजें जो बीमार या अंग विक्रति से के साथ पैदा होते हैं उन्हें बेकार समझकर क्रूर या अमानवीय तरीकों से मार दिया जाता है। उनको पानी में डुबोकर, आग में जलाकर, बड़े ड्रम या ट्रक के नीचे दबाकर, दम घोटकर, मछलियों का चारा बनने हेतु उन्हें तलबों में फेंककर या जिंदा को ही ग्राईंडर में पीसकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुछ चूजों को हानिकारक रसायानों से युक्त रंगो से रंग दिया जाता है व उन्हें गावों में बच्चों को दिया या बेच दिया जाता है, रसायनो के चलते एक या दो दिन बाद इन चूजों की भी मौत हो जाती है। भारत के कुछ मुर्गीपालन केन्द्रों से ली गई इन तस्वीरों से यह साफ़ प्रतीत होता है कि बेकार समझे जाने वाले इन चूजों के साथ कितना क्रुरताभरा दुर्व्यवहार होता है। **(संलग्नक 1)**

यह ध्यान रखना चाहिए कि चूजों को इस तरह से मारना द **प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960 ("PCA ACT")** की धारा 11 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है व दंडनीय अपराध है। PCA अधिनियम की धारा 11 की प्रतिलिपि (सारांश) **संलग्नक 2** के रूप में संलग्न है।

मतस्य, पशु पालन एवं डेयरी अंतरालय द्वारा जारी किये गए, "बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टेटिस्टिक्स" 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 में 60676.96 लाख के उत्पादन के साथ **हरियाणा** राज्य भारत का सर्वोच्च अंडा उत्पादक राज्यों में से एक है। इसलिए हरियाणा के मुर्गीपालन केन्द्रों को तुरंत निर्देशित किए जाने की जरूरत है कि, अनचाहे चूजों को मारने के लिए अपनाई गई उपरोक्त अवैध और क्रूर प्रथाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाये और इसके बजाय AWBI और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित कानूनन स्वीकृत एवं मानवीय तरीकों को अपनाया जाए । बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स 2019 की रिपोर्ट के कुछ आवश्यक भाग **संलग्नक 3** के रूप में संलग्न किए गए हैं।

जुलाई 2017 में, भारत के विधि आयोग ने अपनी 269 वीं रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक था, " ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसकीपिंग ऑफ़ एग-लेयिंग हेंस (लेयर्स) एंड ब्रायलर चिकन्स "(लॉ कमिशन रिपोर्ट) , जिसमें चूजों की अमानवीय हत्याओं के तरीके और प्रथाओं के बारे में लिखा गया था। विधि आयोग की रिपोर्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (एग लेयिंग हेंस) नियम, 2017 के नियम 16 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि **"(1) हैचरीस द्वारा अनचाहे चूजों को मारने हेतु पशु इच्छामृत्यु पद्धति अपनाई जानी चाहिए, जिसमें एक नियंत्रित वायुमंडलीय हत्याओं हेतु निष्क्रिय गैसों का इस्तेमाल किया जाता है।**" विधि आयोग की रिपोर्ट की एक कॉपी **संलग्नक - 4** के रूप में संलग्न की गई है।

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 और 2014 में रोग नियंत्रण के उद्देश्यों हेतु पक्षियों की हत्या के संबंध में दो परामर्श जारी किए थे, जिसमें यह भी कहा गया था कि AWBI जानवरों की हत्या के तरीके के रूप में नाइट्रोजन और निष्क्रिय गैसेस के उपयोग का समर्थन करता है और यह मृत्यु देने का एक मानवीय तरीका है जिसे राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। AWBI द्वारा 9.03.2012 और 27.11.2014 को जारी की गयी सलाह की कॉपियाँ **संलग्नक 5 और 6** के रूप में संलग्न हैं।

वर्ष 2011 में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने 29 अप्रेल 2019 को "प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (एग लेयिंग हेंस) रूल्स, 2019" (ड्राफ्ट एग लेयिंग हेंस) के तहत एक अधिसूचना जारी करी। इस ड्राफ्ट के नियम 12 में कहा गया कि, मुर्गीपालन केंद्र चूजों की इच्छामृत्यु हेतु इस OIE के दिशानिर्देशों में से किसी भी तरीके को चुन सकता है। "एग लेयिंग हेंस" नियमावली के ड्राफ्ट की कॉपी **संलग्नक-7** के रूप में संलग्न है।

"विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन" जारी किए गए OIE दिशानिर्देश के अध्याय 7.6 के अनुच्छेद 7.6.14 में चूजों को मारने हेतु नाइट्रोजन और निष्क्रिय गैसों का उपयोग किया जाना निर्धारित किया गया है और भारत के विधि आयोग द्वारा भी इसी तरीकों को मान्यता देते हुए इसे अनचाहे चूजों को मारने हेतु मानवीय तरीका माना गया है। OIE दिशानिर्देशों (सारांश) के एक कॉपी **संलग्नक- 8** के रूप में संलग्न है।

उपरोक्त के मद्देनज़र, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने राज्य के सभी मुर्गीपालन केन्द्रों को निर्देश जारी कर चूजों को अमानवीय, क्रूर और गैरकानूनी तरीके से मारने की परम्पराओं पर प्रतिबंध लगाएँ। इन समस्त मुर्गीपालन केन्द्रों को OIE दिशानिर्देशों के अध्याय 7.6 के अनुच्छेद 7.6.14 के तहत निर्धारित किये गए नियम, जिन्हें AWBI और भारतीय विधि आयोग द्वारा भी स्वीकृत किया गया है, को अपनाने के लिए आदेशित करें।

आशा करते हैं की इस विषय पर शीघ्र ही आपकी प्रतिकृया प्राप्त होगी। इस मामले पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप मुझ से ManilalV@petaindia.org पर ई-मेल या +919910817382 पर फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

डॉ. मणिलाल वलियाते
CEO, PETA इंडिया
PETA India
Follow us on Facebook
Follow us on Hindi Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram
Subscribe to our YouTube
Subscribe to our E-news

From: "Dr. Manilal Valliyate" <ManilalV@petaindia.org>
Date: 12 February 2020 at 1:06:00 pm GMT+5:30
To: "dg.ahd@hry.nic.in" <dg.ahd@hry.nic.in>
Cc: "achahh@gmail.com" <achahh@gmail.com>
Subject: Request for a ban on all inhumane and illegal methods and practices currently being used for killing unwanted and male baby chicks by the poultry hatcheries in the state of Haryana

Dear Sir,

I am writing from PETA India, requesting you to immediately issue directions to all poultry hatcheries in your state to ban inhumane, cruel, and illegal methods of killing unwanted and male baby chicks, as the same are in clear violation of Prevention of Cruelty to Animals (PCA) Act, 1960, and to further direct these hatcheries to adopt humane method for killing, as recommended by the Animal Welfare Board of India (AWBI) and the Law Commission of India.

As you may know, millions of male baby chicks and chicks who are deformed, sick, or otherwise considered "useless" are killed via cruel and inhumane methods, which include drowning them, tossing them into fires, crushing or suffocating them by dumping them into large drums or trucks, transporting them to fish farms and tossing them into ponds to be eaten by fish, and tossing them into large grinders while they're still alive. Some baby chicks are also dyed with harmful chemicals and distributed or sold in villages to children, which leads to baby chicks enduring a painful death in a couple of days. Photographs taken from certain hatcheries in India depicting the cruelty towards the rejected baby chicks are annexed as **Annexure 1.**

Adopting such cruel methods of killing unwanted and male baby chicks is a clear contravention of various provisions of Section 11 the PCA Act and is punishable under the law. A copy of Section 11 of the Act is annexed as **Annexure 2**.

Since **Haryana** is one of the top egg-producing states in the nation (producing **60676.96** lakhs in 2018–2019), as per the report on Basic Animal Husbandry Statistics 2019 released by the Ministries of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Department of Animal Husbandry & Dairying, it is imperative that the hatcheries in your state be directed immediately to ban the use of illegal and cruel practices for killing unwanted and male chicks and instead adopt legal and humane methods, as recommended by the AWBI and the Law Commission of India. A copy of the relevant section of the report on Basic Animal Husbandry Statistics 2019 is annexed as **Annexure 3**.

In July 2017, the Law Commission of India released its 269th report titled "Transportation and House-Keeping of Egg-Laying Hens (Layers) and Broiler Chickens", wherein the inhumane killing of male baby chicks in the poultry industry was acknowledged. Rule 16 of the draft Prevention of Cruelty to Animals (Egg Laying Hens) Rules, 2017, specifies that "The hatcheries shall use animal euthanasia to euthanise male chicks using a combinations of inert gases by the method of controlled atmospheric killing". A copy of the report is annexed as **Annexure 4**.

The AWBI in the year 2012 and 2014 had issued two advisories concerning culling birds for disease control purposes, which stated that the board supports the use of nitrogen and inert gases p for culling animals. Copies of the AWBI advisories dated 9.03.2012 and 27.11.2014 are annexed as **Annexures 5** and **6**, respectively.

In 2019, the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India issued a draft notification dated 29th April, 2019 being Prevention of Cruelty to Animals (Egg Laying Hens) Rules, 2019 ("Draft Egg Laying Hens Rules"). Rule 12 mandates that hatcheries must use one of the procedures for the euthanasia of male chicks prescribed in the World Organisation for Animal Health (OIE) guidelines. A copy of the rules is annexed as **Annexure 7**.

Article 7.6.14 of Chapter 7.6 of the guidelines issued by the OIE prescribes use of nitrogen and inert gases for killing poultry which is also recommended by the Law Commission of India. The said humane method ought to be adopted to euthanise unwanted and male baby chicks in the state. Relevant extract of the OIE guidelines is annexed as **Annexure 8**.

In light of this information, I urge you to issue directions immediately to all poultry hatcheries in your state to ban inhumane, cruel, and illegal methods of killing unwanted and male baby chicks and to direct hatcheries to adopt the humane method for killing prescribed under Article 7.6.14 of Chapter 7.6 of the OIE guidelines, which is also recommended by the AWBI and the Law Commission of India.

I hope to hear from you soon. Thank you for your time and consideration of this important matter. I can be reached at ManilalV@petaindia.org or on +91 9910817382.

Yours sincerely,

Dr Manilal Valliyate, CEO

PETA India

Follow us on Facebook

Follow us on Hindi Facebook

Follow us on Twitter

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube

Subscribe to our E-news